

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क.एफ.280परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ.-सादुलशहर/शिकायत/2015/ जयपुर, दिनांक: 27-05-20  
635

:: आदेश ::

श्री महेन्द्र सैनी, तत्कालीन ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत चेलासी, पंचायत समिति नवलगढ़ (झुन्झुनू), हॉल सहायक विकास अधिकारी (पंचायत प्रसार अधिकारी), पं.स. सादुलशहर (श्रीगंगानगर) को विभागीय आदेश क्रमांक 3448 दिनांक 18.08.2015 द्वारा निलम्बित किया जाकर, निलम्बन काल में इनका मुख्यालय जिला परिषद श्रीगंगानगर किया गया था, को तत्काल प्रभाव से निलम्बन से बहाल किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से

(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)  
अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव (II)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर-झुन्झुनू।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद झुन्झुनू/श्रीगंगानगर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति नवलगढ़ (झुन्झुनू)/सादुलशहर (श्रीगंगानगर)।
5. श्री महेन्द्र सैनी, तत्कालीन ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत चेलासी, पंचायत समिति नवलगढ़ (झुन्झुनू) हॉल सहायक विकास अधिकारी (पंचायत प्रसार अधिकारी), पं.स. सादुलशहर (श्रीगंगानगर), मुख्यालय जिला परिषद श्रीगंगानगर।
6. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव (II)